रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 28—मार्च 6, 2009 (फाल्गुन 9, 1930)

No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 28—MARCH 6, 2009 (PHALGUNA 9, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 225

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 181

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 65

भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ... 265

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम ...... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं.......... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.......... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).......... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 575

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस .... *

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ...... *

भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 1993

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 81

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक .... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

Attested

CONTENTS

	Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	225
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	181
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence......	65
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence....................	265
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations............................	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills....................	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)............................	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)............................	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	575
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs...................	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.........................	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.......................	1993
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	81
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi............................	*

*Folios not received.

Attested

वित्तीय अधिकारी
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

(xxii) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की जांच रिपोर्ट में दिए गए सुझावों तथा सिफारिशों की अनुपालना हेतु सभी आवश्यक प्रयास करेगा ताकि कमियों को दूर किया जा सके तथा अनुमोदित सुधार किया जा सके।

(xxiii) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान अपने सभी विज्ञापनों, आम सूचनाओं, पत्रों इत्यादि में अपनी नाम पद्धति के नीचे विशेष रूप से एक पंक्ति का उल्लेख करेगा जो 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित' पढ़ी जाएगी।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

सं. एफ. 10-14/2008-यू. 3 (ए)-

जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत किसी उच्चतर शिक्षा संस्था को 'समविश्वविद्यालय' घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर येनेपोया दंत चिकित्सा कॉलेज, देरालकट्टे, मंगलौर सहित येनेपोया विश्वविद्यालय, मंगलौर, कर्नाटक को उक्त दंत चिकित्सा कॉलेज का अपने संबंधन विश्वविद्यालय अर्थात राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर से संबंधन समाप्त होने की तारीख से इस मंत्रालय के दिनांक 27 फरवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या 9-11/2007-यू.3(ए) के जरिए उपर्युक्त अधिनियम के उद्देश्यार्थ 'सम-विश्वविद्यालय' घोषित किया गया था।

3. और जबकि, येनेपोया विश्वविद्यालय (समविश्वविद्यालय संस्था), मंगलौर से मई, 2008 (I) येनेपोया चिकित्सा कॉलेज, नित्यानंद नगर, डाकखाना-देरालकट्टे, मंगलौर (II) येनेपोया नर्सिंग कॉलेज, नित्यानंद नगर डाकखाना-देरालकट्टे, मंगलौर, और (III) येनेपोया फिजियोथैरेपी कॉलेज, नित्यानंद नगर, डाकखाना-देरालकट्टे, मंगलौर को येनेपोया विश्वविद्यालय, मंगलौर, कर्नाटक की संघटक यूनिटों के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

4. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 4.12.2008 के अपने पत्र संख्या एफ.26-2/2008 (सीपीपी-I) के जरिए (I) येनेपोया चिकित्सा कॉलेज, नित्यानंद नगर, डाकखाना-देरालकट्टे, मंगलौर (II) येनेपोया नर्सिंग कॉलेज, नित्यानंद नगर डाकखाना-देरालकट्टे, मंगलौर, और (III) येनेपोया फिजियोथैरेपी कॉलेज, नित्यानंद नगर, डाकखाना-देरालकट्टे, मंगलौर को येनेपोया विश्वविद्यालय, मंगलौर के क्षेत्राधिकार में तीन वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष और इसके बाद पाँच वर्षो के पश्चात समीक्षा किए जाने की शर्त के अधीन लाए जाने की सिफारिश की है;

5. इसीलिए अब केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद द्वारा यह घोषणा करती है कि (I) येनेपोया चिकित्सा कॉलेज, नित्यानंद नगर, डाकखाना-देरालकट्टे, मंगलौर (II) येनेपोया नर्सिंग कॉलेज, नित्यानंद नगर डाकखाना-देरालकट्टे, मंगलौर, और (III)

Attested 14/7/11
वित्तीय अधिकारी

येनेपोया फिजियोथैरेपी कॉलेज, नित्यानंद नगर, डाकखाना-देरालकट्टे, मंगलौर निम्नलिखित शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के उद्देश्यार्थ येनेपोया विश्वविद्यालय, 'सम-विश्वविद्यालय', मंगलौर, कर्नाटक के क्षेत्राधिकार के अधीन संघटक शिक्षण यूनिट होंगी:

(i) येनेपोया विश्वविद्यालय की संघटक शिक्षण यूनिट के रूप में उपर्युक्त तीन कॉलेजों की घोषणा इन कॉलेजों के अपने संबंधन विश्वविद्यालय अर्थात राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, बंगलौर से संबंधन समाप्त होने की तारीख से लागू होगी।

(ii) येनेपोया विश्वविद्यालय केवल अगले अकादमिक वर्ष अर्थात वर्ष 2009-2010 से ही अपने नामांकन के तहत उपर्युक्त कॉलेजों के अकादमिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को दाखिला देगा।

(iii) उपर्युक्त कॉलेजों के निष्पादन और कार्यकरण की प्रारंभिक समीक्षा तीन वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर और इसके बाद प्रत्येक पाँच वर्षों के बाद की जाएगी।

(iv) येनेपोया विश्वविद्यालय इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से तीन वर्षों के भीतर एनएएसी (राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद) से प्रत्यायन प्राप्त करेगा।

6. इस मंत्रालय की दिनांक 27 फरवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या जो येनेपोया विश्वविद्यालय, मंगलौर को अभिशासित करती है, में निर्धारित की गई सभी शर्तें लागू रहेंगी और यह विश्वविद्यालय इनका अनुपालन करेगा।

7. उपर्युक्त पैरा 5 में की गई उपर्युक्त घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की कम संख्या 6 पर उल्लिखित शर्तों को पूरा करने/इनका अनुपालन करने के भी अधीन है;

7. न तो भारत सरकार और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग येनेपोया विश्वविद्यालय, मंगलौर अथवा इसकी संघटक यूनिट को कोई योजनागत अथवा योजनेतर अनुदान प्रदान करेगी।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

Attested

The 9th February 2009

No. F. 10-14/2008-U. 3 (A).—

Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as a deemed-to-be-university;

2. And whereas, on the advice of the UGC, Yenepoya University, Mangalore, Karnataka, comprising Yenepoya Dental College, Deralakatte, Mangalore, was declared as an 'Institution Deemed-to-be-University' for the purposes of the aforesaid Act, vide this Ministry's notification No. 9-11/2007-U.3(A) dated the 27th February, 2008, with effect from the date of disaffiliation of the said Dental College from its affiliating university, viz., Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore;

3. And whereas, a proposal was received in May, 2008 from Yenepoya University, (Institution Deemed-to-be-University), Mangalore, for inclusion of (i) Yenepoya Medical College. Nithyananda Nagar PO, Deralakatte, Mangalore (ii) Yenepoya Nursing College, Nithyananda Nagar PO, Deralakatte, Mangalore and (iii) Yenepoya Physiotherapy College, Nithyananda Nagar PO, Deralakatte, Mangalore, as constituent units of Yenepoya University, Mangalore, Karnataka;

4. And whereas, the UGC vide its communication bearing No.F.26-2/2008(CPP-I) dated 04.12.2008 has recommended for bringing (i) Yenepoya Medical College, Nithyananda Nagar PO, Deralakatte, Mangalore (ii) Yenepoya Nursing College, Nithyananda Nagar PO, Deralakatte, Mangalore and (iii) Yenepoya Physiotherapy College, Nithyananda Nagar PO, Deralakatte, Mangalore, under the ambit of Yenepoya University, Mangalore, subject to annual review for three years and subsequently after five years;

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission (UGC), do hereby declare that (i) Yenepoya Medical College, Nithyananda Nagar PO, Deralakatte, Mangalore (ii) Yenepoya Nursing College, Nithyananda Nagar PO, Deralakatte, Mangalore and (iii) Yenepoya Physiotherapy College, Nithyananda Nagar PO, Deralakatte, Mangalore, shall be constituent

Attested

वित्तीय अधिकारी
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

teaching units under the ambit of Yenepoya University, 'Institution Deemed-to-be-University', Mangalore, Karnataka, for the purposes of the UGC Act, 1956, subject to the following conditions:-

(i) The declaration of the aforementioned three Colleges as the constituent teaching units of the Yenepoya University shall take effect from the date of disaffiliation of these Colleges from their affiliating university, viz., Rajiv Gandhi University of Health Sciences (RGUHS), Karnataka, Bangalore;

(ii) Yenepoya University shall admit students to the academic courses/programmes of the aforementioned Colleges under its enrolment only with effect from the academic year 2009-2010;

(iii) The performance and functioning of the aforementioned Colleges shall be initially reviewed on annual basis for three years, and subsequent reviews shall be conducted after every five years;

(iv) Yenepoya University shall obtain NAAC (National Assessment and Accreditation Council) accreditation within three years from the date of issue of this notification;

6. All the conditions that were stipulated in the Ministry's notification No.9-11/2007-U.3(A) dated the 27th February, 2008, that govern the status of 'deemed to be university' conferred on Yenepoya University, Mangalore, shall continue to be in force, and be complied with;

7. The declaration as made in Para 5 above is further subject to fulfillment of the conditions mentioned at Sr. No.6 of the endorsement to this notification;

8. Neither the Government of India nor the UGC shall provide any Plan or Non-Plan grant-in-aid to Yenepoya University, Mangalore, or any of its constituent teaching units.

SUNIL KUMAR
Jt. Secy.

Attested

वित्तीय अधिकारी
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54